

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सवाईमाधोपुर
पीठासीन अधिकारी—श्री बलदेवसिंह हाडा

तारीख रजू— 20/11/2012

कस 2— लखू 3— मदन पि० गंगाविशन
कस 2— गंगाविशन

कस 2— जगतियान गुजरान निवासीयान ग्राम भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा।
बनाम

—अपीलार्थीगण

कस 2— जननालाल 3— भोमपाल पुत्रान स्व० श्री रामनारायण
कस 2— नोजराज पि० मथुरालाल
कस 2— मथुरालाल
कस 2— रामनारायण

कस 2— जगतियान गुजरान निवासीयान ग्राम भेडोली तहसील चौथ का बरवाडा।

—रेस्पोंडेंटस

निर्णय

दिनांक— 24/07/15

अपीलार्थीगण ने यह अपील राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत सहायक अधिकारी, कार्यालय सवाईमाधोपुर के निर्णय दिनांक 30/03/1998 जिसमें खसरा नम्बर 135 गै०मु० चाह गत खसरा नम्बर 52 में बना होने के कारण गत खसरा नम्बर 52 के खसरा नम्बर 1 लगायत 3 के पिता व 7 के पति के नाम अभिलेख में अंकन करने का आदेश दिया गया है एवं पूर्व में किये गये अंकन का अभिलेख में संशोधन करने का आदेश देकर विरुद्ध प्रस्तुत की है।

अपीलार्थीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये नोटिस की गई तथा 'अधीनस्थ' संबंधी अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट जरिये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

अपीलार्थीगण ने अपील में वर्णित तथ्यों का हवाला देते हुए बहस में तर्क दिया कि अधीनस्थ न्यायालय निर्णय विरुद्ध व अवैधानिक होने से निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में तर्क दिया कि अदालत मातहत ने अपीलार्थीगण को सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकपक्षीय निर्णय किया है जो निरस्तनीय है। विद्वान वकील अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि खसरा नम्बर 126 रकबा 1.14 हैक्टर जिसके पुराने नम्बर 51 है जो अपीलार्थीगण की खातेदारी की खसरा नम्बर 135 में कुँआ है जिसके नये नम्बर 51 व 52 है तथा खसरा नम्बर 136 जिसके खसरा नम्बर 1.17 हैक्टर है जो रेस्पोंडेंट की खातेदारी की आराजीयात है। खसरा नम्बर 136 व खसरा नम्बर 135 रकबा 0.01 हैक्टर गै०मु०चाह है जो अपीलार्थी व रेस्पोंडेंट की शामिल होती है।

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि आराजी खसरा नम्बर 135 रकबा 0.01 हैक्टर से रेस्पोंडेंट व अपीलार्थीगण अपने अपने खेतों की सिंचाई कर चाह का उपयोग करते हैं जो नोटि 23/03/98 की मोका रिपोर्ट से भी होती है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की मातहत का निर्णय निरस्त फरमाया जावे व खसरा नम्बर 135 रकबा 0.01 हैक्टर में रेस्पोंडेंट का आधा हिस्सा अभिलेख में करने का आदेश फरमाया जावे।

अपीलार्थीगण द्वारा की गई बहस का खण्डन करते हुए वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने मियाद बाहर अपील पेश की है जो मियाद के बिन्दु पर खारिज किये जाने योग्य है। वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपीलार्थीगण ने बहस में यह भी तर्क दिया कि सहायक भू-अभिलेख अधिकारी के निर्णय की अपील का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबंध आयुक्त को है अतः श्रवणाधिकार के

अपील संख्या 291/12 मोहनलाल वगै०/विशनलाल वगै०

4/2


अपील खारिज किये जाने योग्य है। विद्वान वकील रेस्पोंडेंट ने बहस में यह भी तर्क दिया कि रेस्पोंडेंट को भुगतान नहीं किया गया है तथा बैंक लोन की रसीद में कोई खाता संख्या का उल्लेख नहीं है। अतः अपील खारिज की जाकर अदालत मातहत का निर्णय यथावत रखा जावे।

अपील अधिवक्ता की बहस के जवाब में अपीलार्थीगण अधिवक्ता ने बताया कि खाता संख्या 507 का भुगतान हुआ है तथा किशतों का दोनो ने भुगतान किया है। दोनो ने अलग कोई कुआ नहीं खुदवाया है। अपील अधिवक्ता ने बिना सुने निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार की जाये।

अपील की बहस सुनने उस पर मनन करने तथा पत्रावली का अवलोकन करने पर यह निष्कर्ष निकला कि अपीलार्थीगण ने यह अपील सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के निर्णय दिनांक 30/03/98 के अन्तर्गत भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75(सी) के तहत पेश की है। प्रस्तुत अपील का संबंधित है तथा उक्त अपीलार्थीगण निर्णय पारित करते समय भू-प्रबन्धन का कार्य चल रहा था। अपीलार्थीगण यदि सहायक भू-प्रबन्ध अधिकारी के आदेश से व्यथित थे तो उस वक्त ही आदेश की अपील करनी चाहिये थी परन्तु वकील अपीलार्थीगण द्वारा नियमों की जानकारी नहीं दी। अपील लगभग 14 वर्ष पश्चात अदालत हाजा में पेश की है जो पोषणीय नहीं है। वकील ने यह कथन कि प्रस्तुत अपील को सुनने का अधिकार अदालत हाजा को नहीं होकर भू-प्रबन्ध अधिकारी को होना न्यायोचित है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थीगण श्रवणाधिकार के बिन्दु पर खारिज की जाये।

अपील आज दिनांक 24/07/2015 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


(बलदेवसिंह हाडा)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
सवाईमाधोपुर